

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 1 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत अनुदान संख्या-15 के राजस्व पक्ष में उत्तराखण्ड शहीद कोष हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-18 में सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत 'उत्तराखण्ड शहीद कोष' में विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद सैनिकों के आश्रितों को एकमुश्त सहायता हेतु रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को 'राज्य आकस्मिकता निधि' से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय हेतु स्वीकृत किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड शहीद कोष में विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद सैनिकों के आश्रितों को एकमुश्त सहायता हेतु उक्त धनराशि की स्वीकृति अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में मात्र एक बार हेतु प्रदान की जा रही है।
- 2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 3- इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/XXVII(I)/2017, दिनांक 31.03.2017, शासनादेश संख्या-610/3 (150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30.06.2017 एवं सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-398/XVII-5/2017-03(01)/2017, दिनांक 26.04.2017, शासनादेश संख्या-694/XVII-5/2017-03(01)/2017, दिनांक 21.07.2017 तथा उत्तराखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली-2001 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4- राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षकों में करा दी जायेगी।
- 5- व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- 6- उक्त धनराशि के नियमानुसार शत प्रतिशत सदुपयोग हेतु संबंधित अधिशासी अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
- 7- यह धनराशि पूर्व में सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-398/XVII-5/2017-03(01)/2017, दिनांक 26.04.2017 द्वारा निर्गत धनराशि रू0

26.67 लाख एवं शासनादेश संख्या- 694/XVII-5/2017-03(01)/2017, दिनांक 21.07.2017 द्वारा निर्गत रू0 53.33 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 80.00 लाख के अतिरिक्त निर्गत की जा चुकी है।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा तथा अवशेष धनराशि को शासन/वित्त विभाग को समर्पित कर दिया जाएगा।

9- उक्त धनराशि का देयक सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा बनाया जायेगा, जो निदेशालय के वित्त नियंत्रक/निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा।

10- धनराशि प्रथमतः आहरित कर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्वतन पर रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 (राजस्व पक्ष) के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य व्यय- 0320- 'उत्तराखण्ड शहीद कोष'-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के अशा0 संख्या-38/रा0आ0नि0/XXVII(1)/2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से एलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या-S1801990042, दिनांक 30 जनवरी, 2018 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या:-38/रा0आ0नि0/XXVII (1)/2018 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

पृष्ठांकन संख्या:- 148 (1)/XVII-5/2018-03(01)/2017(TC-1) : तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

  
(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।